



खसरे 4 की कुल तादादी 7.7920 है0 भूमि में से 3997/7792 हिस्सा भूमि एवं खाता संख्या 199/186 के खसरा नं. 74/1 की कुल 1.1260 है0 भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ब0 हि0 ब0 काबिज है एवं चक मन्दराना तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076-2079 के खाता संख्या 21/22 के खसरा नं. 1310/2 की कुल तादादी 6.6770 है0 भूमि में से 1057/6677 हिस्सा भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 यथावत काबिज है। वादी जिसकी न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। यही विनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादी सं0 1 को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 8 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 को कोई ऐतराज नहीं है। प्रतिवादी संख्या 3 परोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम व पुरानी जमाबंदी पेश की जो की शामिल मिसल की गई।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जो की वर्तमान में वादी के पिता के नाम दर्ज है उक्त वाद भूमि पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 8 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ जन्म से हक हिस्सा है। प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 8 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शून्य कर लिया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई ऐतराज नहीं है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।


परोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा सिरंगसर तहसील नोहर

के जमाबन्दी सम्वत 2074-2077 के खाता संख्या 164/152 के कुल खसरे 4 की कुल तादादी 7.7920 है० भूमि में से 3997/7792 हिस्सा भूमि एवं खाता संख्या 199/186 के खसरा नं. 74/1 की कुल 1.1260 है० भूमि एवं चक मन्दराना तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2076-2079 के खाता संख्या 21/22 के खसरा नं. 1310/2 की कुल तादादी 6.6770 है० भूमि में से 1057/6677 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से उक्त वाद भूमि पैतृक भूमि होना साबित है तथा उभयपक्ष ने भी उक्त वाद भूमि हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक कृषि भूमि होना जाहिर किया है। वादी द्वारा पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी संख्या 1 के अन्य कोई वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 को कोई एतराज नहीं है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा सिरंगसर तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2074-2077 के खाता संख्या 164/152 के कुल खसरे 4 की कुल तादादी 7.7920 है० भूमि में से 3997/7792 हिस्सा भूमि एवं खाता संख्या 199/186 के खसरा नं. 74/1 की कुल 1.1260 है० भूमि उपरोक्त दोनो खातों में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 2 को ब० हि० ब० के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा चक मन्दराना तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2076-2079 के खाता संख्या 21/22 के खसरा नं. 1310/2 की कुल तादादी 6.6770 है० भूमि में से 1057/6677 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रहेगी एवं सिंगरसर तहसील नोहर के खाता संख्या 164/152 में प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज भूमि यथावत रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28/8/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(पंकज गढ़वाल R.A.S)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
एवं सहायक कलक्टर  
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ  
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)  
प्रकरण संख्या - 694/2024

अनवान : -

1. गंगाराम पुत्र तेजाराम जाति राईका निवासी सिरंगसर तहसील नोहर ।

- वादी

बनाम्

1. तेजाराम पुत्र हमीरजी जाति राईका निवासी सिरंगसर तहसील नोहर।
2. मामराज पुत्र तेजा राम जाति राईका निवासी सिरंगसर तहसील नोहर।
3. सीता देवी पत्नी तेजाराम जाति राईका निवासी सिरंगसर तहसील नोहर।
4. धनकी पुत्री तेजाराम जाति राईका निवासी सिरंगसर तहसील नोहर।
5. जतू देवी पुत्री तेजाराम जाति राईका निवासी सिरंगसर तहसील नोहर।
6. किशना देवी पुत्री तेजाराम जाति राईका निवासी सिरंगसर तहसील नोहर।
7. सन्तोष पुत्री तेजाराम जाति राईका निवासी सिरंगसर तहसील नोहर।
8. लिछमा देवी पुत्री तेजाराम जाति राईका निवासी सिरंगसर तहसील नोहर।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 694 सन 2024 निर्णय दिनांक 20/08/24

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा सिरंगसर तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2074-2077 के खाता संख्या 164/152 के कुल खसरे 4 की कुल तादादी 7.7920 है0 भूमि में से 3997/7792 हिस्सा भूमि एवं खाता संख्या 199/186 के खसरा नं. 74/1 की कुल 1.1260 है0 भूमि उपरोक्त दोनो खातों में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 2 को ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा चक मन्दराना तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2076-2079 के खाता संख्या 21/22 के खसरा नं. 1310/2 की कुल तादादी 6.6770 है0 भूमि में से 1057/6677 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रहेगी एवं सिरंगसर तहसील नोहर के खाता संख्या 164/152 में प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज भूमि यथावत रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 20/8/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

al  
(पंकज गढ़वाल R.A.S)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
एवं सहायक कलक्टर  
नोहर